

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-80/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी0सी0-276-30प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(338)-2025
लखनऊ: दिनांक:13-02-2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-395/ग्यारह-9(47)/17-30प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(116)-2018 दिनांक 07 मार्च, 2018 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या-4 के समक्ष स्तम्भ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9%" रख दी जायेगी।

2- यह अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

Signed by
(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव
M Devraj

Date: 13-02-2025 12:18:47